



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

३० भाद्र १९३७ (श०)

(सं० पटना १०७७) पटना, सोमवार, २१ सितम्बर २०१५

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

२१ सितम्बर २०१५

सं० बी१-३-९५ / २०१५-२७—बिहार विधान—सभा आम निर्वाचन, २०१५ के अवसर पर २०३—रामगढ़, २०४—मोहनिया (अ.जा.), २०५—भमुआ, २०६—वैनपुर, २०७—चैनारी (अ.जा.), २०८—सासाराम, २०९—करगहर, २१०—दिनारा, २११—नोखा, २१२—डिहरी, २१३—काराकाट, २१४—अरवल, २१५—कुर्था, २१६—जहानाबाद, २१७—घोसी, २१८—मखदुमपुर (अ.जा.), २१९—गोह, २२०—ओबरा, २२१—नवीनगर, २२२—कुटुम्बा (अ.जा.), २२३—ओरंगाबाद, २२४—रफीगंज, २२५—गुरुआ, २२६—शेरघाटी, २२७—इमामगंज (अ.जा.), २२८—बाराचट्टी (अ.जा.), २२९—बोध गया (अ.जा.), २३०—गया टाउन, २३१—टिकारी, २३२—बेलागंज, २३३—अतरी एवं २३४—वजीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं० बी१-३-९५ / २०१५-२६ दिनांक २१.०९.२०१५ एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं०-४६४ / बिहार—वि.स./२०१५ दिनांक २१.०९.२०१५ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

निर्वाचन विभाग**अधिसूचना****21 सितम्बर 2015**

सं0 बी1-3-95/2015-26—यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है ता, 29 नवम्बर, 2015 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है; और

अतः अबः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतदद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
203— रामगढ़
204— मोहनिया (अ0जा0)
205— भमुआ
206— वैनपुर
207— चेनारी (अ0जा0)
208— सासाराम
209— करगहर
210— दिनारा
211— नोखा
212— डिहरी
213— काराकाट
214— अरवल
215— कुर्था
216— जहानाबाद
217— घोसी
218— मखदुमपुर (अ0जा0)
219— गोह
220— ओबरा
221— नवीनगर
222— कुटुम्बा (अ0जा0)

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
223— औरंगाबाद
224— रफीगंज
225— गुरुआ
226— शेरघाटी
227— इमामगंज (अ0जा0)
228— बाराचट्टी (अ0जा0)
229— बोध गया (अ0जा0)
230— गया टाउन
231— टिकारी
232— बेलागंज
233— अतरी
234— वजीरगंज

राज्यपाल के नाम व उनके आदेश से,

बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 21st September 2015

No. B1-3-95/2015-26—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 29th November, 2015 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the state of Bihar ; and

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

Number and name of Assembly Constituency
203-Ramgarh
204-Mohania (SC)
205-Bhabua
206-Chainpur
207-Chenari (SC)
208-Sasaram
209-Kargahar
210-Dinara
211-Nokha
212-Dehri
213-Karakat
214-Arwal
215-Kurtha
216-Jehanabad

Number and name of Assembly Constituency
217-Ghosi
218-Makhdumpur (SC)
219-Goh
220-Obra
221-Nabinagar
222-Kutumba (SC)
223-Aurangabad
224-Rafiganj
225-Gurua
226-Sherghati
227-Imamganj (SC)
228-Barachatti (SC)
229-Bodh Gaya (SC)
230-Gaya Town
231-Tikari
232-Belaganj
233-Atri
234-Wazirganj

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,
 CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BIHAR.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 21 सितम्बर, 2015/30भाद्रपद, 1937 (शक)

सं0 464/बिहार-वि.स./2015:- यतः बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	28 सितम्बर, 2015 (सोमवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	29 सितम्बर, 2015 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख :	1 अक्टूबर, 2015 (वृहस्पतिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा :	16 अक्टूबर, 2015 (शुक्रवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा :	12 नवम्बर, 2015 (वृहस्पतिवार)

नियत करता है, और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को सारणी के स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्त्वानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
203—रामगढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
204—मोहनिया (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
205—भमुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
206—चैनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
207—चेनारी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
208—सासाराम	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
209—करगहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
210—दिनारा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
211—नोखा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
212—डिहरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
213—काराकाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
214—अरवल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
215—कुर्था	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

216—जहानाबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
217—घोसी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
218—मखदुमपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
219—गोह	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
220—ओबरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
221—नवीनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
222—कुटुम्बा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
223—औरंगाबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
224—रफीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
225—गुरुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
226—शेरधाटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
227—इमामगंज (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
228—बाराचट्टी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
229—बोध गया (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
230—गया टाउन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
231—टिकरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
232—बेलागंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
233—अतरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
234—वाजीरगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 21st September, 2015/
30 Bhadrapada 1937 (Saka)*

No. 464/BR-LA/2015 :- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by a notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the 21st September, 2015, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column(1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby :-

- (A) **appoints**, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table:—
- (a) the 28th September, 2015 (Monday) : as the last date for making nominations;
 - (b) the 29th September, 2015 (Tuesday) : as the date for scrutiny of nominations;
 - (c) the 1st October, 2015 (Thursday) : as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) the 16th October, 2015 (Friday) : as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
 - (e) the 12th November, 2015 (Thursday) : as the date before which the election shall be completed; and
- (B) **fixes the hours**, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above in the corresponding Constituency shown in column (1) of the Table :—

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
203-Ramgarh	7.00 AM to 5.00 PM
204-Mohania (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
205-Bhabua	7.00 AM to 5.00 PM
206-Chainpur	7.00 AM to 3.00 PM
207-Chenari (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
208-Sasaram	7.00 AM to 4.00 PM
209-Kargahar	7.00 AM to 5.00 PM
210-Dinara	7.00 AM to 5.00 PM
211-Nokha	7.00 AM to 5.00 PM
212-Dehri	7.00 AM to 4.00 PM
213-Karakat	7.00 AM to 4.00 PM
214-Arwal	7.00 AM to 4.00 PM
215-Kurtha	7.00 AM to 4.00 PM
216-Jehanabad	7.00 AM to 4.00 PM

217-Ghosi	7.00 AM to 4.00 PM
218-Makhdumpur (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
219-Goh	7.00 AM to 4.00 PM
220-Obra	7.00 AM to 5.00 PM
221-Nabinagar	7.00 AM to 3.00 PM
222-Kutumba (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
223-Aurangabad	7.00 AM to 5.00 PM
224-Rafiganj	7.00 AM to 3.00 PM
225-Gurua	7.00 AM to 3.00 PM
226-Sherghati	7.00 AM to 3.00 PM
227-Imamganj (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
228-Barachatti (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
229-Bodh Gaya (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
230- Gaya Town	7.00 AM to 5.00 PM
231-Tikari	7.00 AM to 3.00 PM
232-Belaganj	7.00 AM to 4.00 PM
233-Atri	7.00 AM to 3.00 PM
234-Wazirganj	7.00 AM to 4.00 PM

By Order,
R.K. SRIVASTAVA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1077-571+300-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>